सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 51/2018

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस0एम0ई0 विशेषीकृत शाखा सीताराम औद्योगिक क्षेत्र सीताराम–31792, जयपुर–302022 ..प्रार्थी

ब्नाम

मैसर्स श्री गुरूकृपा पोलीमर्स प्रोप0 श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री रामनाथ मीणा फैक्टरीः खसरा नं0 165/2, ग्राम किशोरपुरा तहसील नांगलराजावतान–303505 जिला दौस राजस्थान वगै0 ...अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थितः 1. श्री सुरेश शर्मा, प्रार्थी बैंक की ओर से
2. श्री विनोद विजय अप्रार्थी की ओर से

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रार्थी मैसर्स श्री गुरूकृपा पोलीमर्स प्रोप. श्री रामस्वरूप मीणा वगै0 को मियादी ऋण रूपये 99.00 लाख एवं नकद–साख लिमिट रूपये 60.00 लाख की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्राथी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act**.2000 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व प्रार्थी बैक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act**.2000 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई **सम्पत्ति** 1–श्री रामनाथ मीना पुत्र श्री किशन लाल मीणा, के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो मिसल संख्या 17, पट्टा संख्या 9, प्लॉट गांव किशोरपुरा, ग्राम पंचायत नागल राजावतान, जिला दौसा, (राज.) पिन–303505 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है। (233.03 वर्ग मीटर)। **जिसकी चारो ओर की सीमाएं निम्न है**– उत्तर–रास्ता, दक्षिण– श्री चंदाराम की संपत्ति, पूर्व–सडक और घर का दरवाजा, पश्चिम– श्री रामधन पुत्र श्री महादेव और श्री रामजी

लाल पुत्र श्री पांचू की संपत्तियां **सम्पत्ति 2**– श्री रामनाथ मीणा पुत्र श्री किशन लाल मीणा के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक दुकान जो मिसल संख्या 9, पट्टा संख्या 28, संकल्प संख्या 5, लालसोट–गंगापुर रोड, ग्राम पंचायत नांगल राजावतान, पंचायत समिति व जिला –दौसा, (राज0) पिन– 303505 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 42 वर्ग गज (35.13 वर्ग मीटर) है। जिसकी चारो ओर की सीमाएं निम्न है– उत्तर– छारेडा सडक, दक्षिण– चांदपुर वाले की दुकान, पूर्व–श्री रामफूल की जमीन, पश्चिम–लालसोट–गंगापुर रोड **सम्पत्ति 3**– श्री राम नाथ मीणा पुत्र श्री किशन लाल मीणा के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक परिवर्तित भूमि एवं भवन जो भाग है खसरा संख्या 165/2, गांव किशोरपुरा, तहसील नांगल राजावतान, जिला–दौसा,(राज.) पिन–303505 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3228 वर्गगज (2700 वर्गमीटर) है। जिसकी चारो ओर की सीमाएं निम्न है– उत्तर– रामनाथ मीणा की जमीन खसरा संख्या 165/1, दक्षिण– रामपाल मीणा की कृषि भूमि, पूर्व–किशोरपुरा सडक 10 मीटर चौडी, पश्चिम–रामपाल मीणा की कृषि भूमि है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांकः 16 मई, 2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official